न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/28/2019	19–06–2019	12–09–2019

1– खुशीराम पुत्र श्री हरिसिंह जाति यादव निवासी ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– रमनलाल पुत्र श्री हरिसिंह जाति यादव निवासी ग्राम शीतल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
2– हल्का पटवारी बुटियाना, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
3– जगमोहन पुत्र श्री हरिसिंह जाति यादव (मृतक)
3/1 सरला पत्नी स्व0 श्री जगमोहन जाति यादव।
3/2 जगवीर पुत्र स्व0 श्री जगमोहन जाति यादव निवासी ग्राम बीसली हाल निवासी हसन खां मेवात नगर, अलवर।
3/3 प्रीति पुत्री स्व0 जगमोहन पत्नी श्री सुशील जाति यादव निवासी ग्राम बीसली हाल निवासी हसन खां मेवात नगर, अलवर।
3/4 अल्का पुत्री स्व0 जगमोहन पत्नी श्री सतीश जाति यादव निवासी ग्राम बिसली हाल निवासी थाणे, मुम्बई।
3/5 कान्ता पुत्री स्व0 श्री जगमोहन पत्नी श्री अशोक जाति यादव निवासी ग्राम बिसली हाल निवासी तिजारा फाटक, अलवर।
3/6 लक्ष्मी पुत्री स्व0 जगमोहन पत्नी श्री राजेश कुमार जाति यादव निवासी ग्राम बिसली हाल निवासी राजगढ़ जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री नवनीत तिवाड़ी –वकील प्रार्थी
02. श्री नरेश चौधरी –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी खुशीराम बनाम रमनलाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक राजस्व वाद संख्या 1/55/2018 उनवान खुशीराम बनाम रमनलाल वगै0 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ न्यायालय में पेश किया हुआ है। जिसके साथ स्थगन प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया हुआ है। जिसमें मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश फरमाये गये है। जो वर्तमान में भी प्रभावी है। अप्रार्थी सं0 1 व 3/1 लगा0 3/6 विवादित आराजी को बिना तकासमा किये रहन बय हिबा करने की जूस्तजू में है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दि. 25.04.2019 को ग्राम शीलत में प्रार्थी से खुले आम कहां कि उसने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से साठ–गाठ बैठा ली है तथा–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

अधिकारी ने आस्वस्त किया है कि आगामी पेशी पर स्थगन आदेश खारिज कर देंगे। जहां किसी पक्ष को यह अंदेशा हो जाये कि न्याय अधिकारी निस्पक्ष नहीं रहे है तो प्रकरण को अन्यत्र सुनवाई करवाया जाना न्यायहित में अति–आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के न्यायालय में प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः पत्रावली राजस्व वाद संख्या 1/55/2018 उनवान खुशीराम बनाम रमनलाल को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमायें।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद गलत तरीके से पेश किया है क्योंकि आराजी मुतनाजा का तकासमा हो चुका है व जिस तकासमा के तहत इंतकाल सं. 1035 पक्षकारान् के नाम दर्ज व स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन वादी ने फिर भी गलत तरीके से तकासा का दावा पेश किया गया है। हम अप्रार्थीगण को अपने हिस्से व कब्जे में आयी हुई आराजी को उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को बेचान कर दी है। प्रार्थी दावे की आड़ में मिन अप्रार्थी की आराजी पर नाजायद कब्जा करना चाहता है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जाकर स्पेशल कॉस्ट रूपये 10,000/– दिलायी जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन प्रकरण खुशीराम बनाम रमन लाल को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2019 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)